न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 16 / 2023
स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम

सुभाष जुनेजा पुत्र श्री कश्मीरी लाल निवासी वार्ड नं0 32 प्रोफेसर कॉलोनी तह0 व जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि0।
2 अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः —19.12.2024

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि 07.06.2023 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ हमराह कार्यालय स्टाफ हनुमानगढ़ टाउन स्थित लक्ष्मी साबुन उद्योग, कोहला मालिक सुभाष जुनेजा पुत्र श्री कश्मीरी लाल के आवास / दुकान में पेट्रोल—डीजल का अवैध भण्डारण एवं बेचान की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर सुभाष जुनेजा की उपस्थिति में तलाशी ली गई। तलाशी में 45 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम 15 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल में डीजल—पेट्रोल भरा पाया गया एवं 1 माप लोहे का व 3 तीन कीप लोहे की रखी पायी गयी। मौके पर आवास / दुकान मालिक सुभाष जुनेजा उपस्थित मिला जिसके द्वारा उक्त आवास / दुकान पर डीजल व पेट्रोल बेचने का कार्य किया जाता है एवं मौके पर पाया गया सामान दुकान में डीजल—पेट्रोल के विक्रय कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर सुभाष जुनेजा द्वारा उनके पास पेट्रोल—डीजल विक्रय, कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर आवास / दुकान में पेट्रोल—डीजल का अवैध कारोबार स्पष्ट होने पर उक्त 45 लीटर डीजल मय एक प्लास्टिक ड्रम, 15 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल को श्री मोहित पुत्र श्री श्यामलाल जाति सैनी निवासी कोहला को सुपुर्द किया गया। चूंकि श्री सुभाष जुनेजा पुत्र श्री कश्मीरी लाल निवासी वार्ड नं0 32 प्रोफेसर कॉलोनी तहसील व जिला हनुमानगढ़ का उक्त कृत्य मोटर स्पिरिट (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लघंन किया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:47:12 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

किया कि जब्तशुदा 45 लीटर डीजल मय एक प्लास्टिक ड्रम, 15 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

अप्रार्थी द्वारा जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि उक्त प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध कतई गलत, बेबुनियाद व मिथ्या तथ्यों के आधार पर बनाया गया है। अप्रार्थी से 45 लीटर डीजल व 15 लीटर पेट्रोल जब्त करना बताया गया है तथा जब्त शुदा डीजल पेट्रोल को आवश्यक वस्तु अधिनियम में माना गया है जबकि इस संबंध में अप्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी की कोहला में लक्ष्मी साबुन उद्योग के नाम से फैक्टरी है जिसमें अप्रार्थी साबुन बनाने का कार्य करता है तथा साबुन निर्माण में उपयोग में आने वाले उपकरणों को संचालित करने के लिए डीजल व पेट्रोल की आवश्यकता रहती है, इसलिए अप्रार्थी ने उक्त डीजल व पेट्रोल अपनी फैक्टरी के उपकरणों को संचालित करने के लिए ही लाकर रखा हुआ था। अप्रार्थी द्वारा तेल का बेचान नहीं किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में जारी अधिसूचना के अन्तर्गत एक व्यक्ति एक समय में बिना अनुज्ञप्ति या किसी आदेश के 2500 लीटर डीजल अपने कब्जा में रख सकता है, जिसका कोई स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक नहीं है। वरवक्त जब्ती अप्रार्थी न तो किसी व्यक्ति को उपरोक्त डीजल बेच रहा था और ना ही ऐसा कोई व्यक्ति वरवक्त जब्ती डीजल व पेट्रोल खरीद रहा था। अतः जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे तथा जब्त शुदा 45 लीटर डीजल मय एक प्लास्टिक ड्रम, 15 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल मय माप अप्रार्थी को दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 45 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम 15 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल में डीजल–पेट्रोल भरा पाया गया एवं 1 माप लोहे का व 3 तीन कीप लोहे को जब्त किया गया है। जब्ती के समय कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाया गया। लाईसेंस के अभाव में जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल व अन्य सामान अवैध भण्डारण एवं कालाबाजारी है। अवैध पेट्रोल, डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:47:12 IST
Reason: SelfAttested

1. स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय साथ में लोहे के नाप, कीप भी पाये गये। जिससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा काफी समय से अवैध भण्डारण एवं कारोबार हो रहा है।
2. अप्रार्थी भी वरवक्त जांच मौके पर मौजूद था और उसके दौराने बहस/ सुनवाई में मौके पर उपस्थित होकर रिपोर्टेड मात्रा में डीजल व अन्य सामग्री होना मौखिक रूप से स्वीकार किया है। किन्तु किसी प्रकार के परिवहन व भण्डारण संबंधी अनुज्ञा होने से मना किया, जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में डीजल/पेट्रोल भण्डारण अवैध था।
3. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण पेट्रोल, डीजल के विक्रय, कारोबार करने हेतु कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं। मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में अवैध भण्डारण एवं कारोबार का कृत्य, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है। जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः जब्तशुदा उक्त जब्तशुदा 45 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम, 15 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Mina
Date: 2025.01.07 11:47:12 IST
Reason: SelfAttested